

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,

मुरादाबाद

पत्रांक :- 1040/प्र0 वर्ग/21
सेवा में,

दिनांक :- 4-6-2021

जिलाधिकारी,
मुरादाबाद।

विषय :-

श्रीमति नाजिया परवीन पुत्री श्री हाजी इकराम कुरैशी पत्नी हाजी फरहान कुरैशी निवासी भूडे का चौराहा, ईदगाह रोड, मुरादाबाद के द्वारा ग्राम मुस्तफाबाद तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या-112मि0, 113मि0 व 114मि0 पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

आपका का पत्रांक-156/प्र0सहा0 आबकारी/2020 दिनांक 02.03.2020 एवं मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद क्षेत्र लो0नि0वि0 मुरादाबाद का पत्रांक-984/46एम (मुरादाबाद)-मु0क्षे0/20-21 दिनांक 30.04.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। विषयक प्रकरण में मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद क्षेत्र लो0नि0वि0 मुरादाबाद ने अपने पत्रांक-984/46एम(मुरादाबाद)-मु0क्षे0/20-21 दिनांक 30.04.2021 द्वारा (छायाप्रति संलग्न) है। पुराना एन0एच0-24 (दिल्ली-बरेली-लखनऊ) (शहरी मार्ग) के कि0मी0-163 चैनेज 162.863 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया है :-

मुख्य अभियन्ता महोदय, मुरादाबाद क्षेत्र लो0नि0वि0 मुरादाबाद के निर्देशानुसार प्रकरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :-

1. मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद क्षेत्र लो0नि0वि0 मुरादाबाद के पत्र की छायाप्रति।
2. अधीक्षण अभियन्ता मुरादाबाद वृत्त लो0नि0वि0 मुरादाबाद के पत्र की छायाप्रति।
3. मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।

पत्रांक :- /प्र0 वर्ग/21

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद क्षेत्र लो0नि0वि0 मुरादाबाद को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता-षष्ठम, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(क्षेत्र)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक बालिकी प्रभाग
मुरादाबाद

(लक्ष्मी नारायण)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद
दिनांक :-

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद

पत्रांक- 984/46एम0(मुरादाबाद)-मु0क्षे0/20-21
अधिशाली अभियन्ता,
प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद

दिनांक- 30/4/21

670
N^o
01/06/21

विषय- श्रीमती नाजिया परवीन पुत्री श्री हाजी इकराम कुरैशी पत्नी हाजी फरहान कुरैशी निवासी गूडे का चौराहा ईदगाह रोड, मुरादाबाद के द्वार ग्राम मुस्तफाबाद तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा सं0-112मि0, 113मि0 व 114मि0 पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ- मुख्य अभियन्ता(मु0-2), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्रांक 702एम0टी0/सामान्य वर्ग/60एम0टी0/1999, दिनांक 05.01.2021 एवं अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, मुरादाबाद का पत्रांक-965/105काम-मु0वृत्/20 दिनांक 23.02.2021

अधीक्षण अभियन्ता के पत्र दिनांक 23.02.2021 द्वारा संस्तुत प्रस्तुत प्रकरण में स्पष्ट करना है कि विज्ञापन की तिथि दिनांक 04.12.2019 से पूर्व का है। रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (सामान्य वर्ग), लोनिवि, लखनऊ के पत्र सं0-15362एम0टी0/सामान्य वर्ग/60एम0टी0/1999, दि0 24.12.2020 द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है। "उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक दि0 18.03.2020 (छाया प्रति संलग्न) में लिये गये उपरोक्त वर्णित निर्णय के कम में स्पष्ट किया जाता है कि जिन मामलों में ऑयल कम्पनी द्वारा निर्गत विज्ञापन की तिथि शासनादेश दिनांक 04.12.2019 के पूर्व की हो, उन समस्त प्रकरणों का निस्तारण पूर्व शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुसार क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा कराया जायेगा।" उल्लेखनीय है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता(मु0-2), लोनिवि, लखनऊ के पत्र सं0-7725/एम.टी. /16एम.टी./99, दिनांक 15.11.2003 द्वारा यह निर्देशित किया गया था, कि समस्त मार्गों पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, रोड ट्रान्सपोर्ट एवं हाईवेज (रोड विंग), ट्रान्सपोर्ट भवन, नई दिल्ली के पत्रांक आर.डब्ल्यू/एन.एच. 33023/19/99, डी.ओ.-3 दिनांक 31.08.2000 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। तत्पश्चात् मुख्य अभियन्ता(मु0-2) के पत्र सं0-79कैम्प/मु0अभि0 (मु0-2)/सामान्य/19, दिनांक 30.09.2019 द्वारा कतिपय कारणों से जारी 2003 की गाइड लाइन्स को निरस्त कर दिया गया था। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त के फलस्वरूप दिनांक 04.12.2019 से पूर्व प्रकाशित रिटेल आउटलेट के प्रकरणों हेतु लोनिवि में कोई भी गाइड लाइन्स प्रचलित नहीं है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों यथा प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख, चेकलिस्ट एवं मानचित्र के आधार पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. मार्ग के मध्य बिन्दु से दोनों ओर 220 फीट की दूरी तक कोई भी स्थायी निर्माण न किया जाये।
2. मानचित्र में प्रस्तावित निर्माण मार्ग के मध्य बिन्दु से 33.00 मी0 की दूरी के बाद ही अस्थायी निर्माण किया जाये।
3. विभिन्न मद का निर्माण कार्य मानचित्र में दर्शायी गयी माप एवं मानक विशिष्टियों के अनुरूप ही सम्पादित किया जाये।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर आने जाने हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण आवेदक को स्वयं अपने निजी व्यय पर कराना होगा।
5. रिटेल आउटलेट से पानी की समुचित निकासी हेतु पुलिया व नाली के निर्माण से सम्बन्धित ले आउट प्लान, पुलिया व नाली की परिकल्पना का अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ता से कराना होगा।
6. रिटेल आउटलेट की स्थापना के फलस्वरूप यातायात की सुरक्षा हेतु आवश्यक साईनबोर्ड एवं रोड मार्किंग की व्यवस्था आवेदक को निजी व्यय पर कराना होगा।
7. भू-स्वामित्व का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु दी गयी प्रोविजनल अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
8. भविष्य में प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण/मार्ग की श्रेणी में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जनसुविधाओं में वृद्धि होने के कारण लो0नि0वि0 को यदि भूमि अधिग्रहण करनी पड़ती है, तो उस स्थिति में निर्गत अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं आवेदक को पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
9. मार्ग के प्रयोग में लाये जाने हेतु यदि भविष्य में कोई किराया निर्धारित किया जाता है तो उसका वहन सम्बन्धित कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तों का अनुपालन न किये जाने एवं किसी भी अभिलेख के असत्य पाये जाने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्न:- मानचित्र एक प्रति में।

(सहस्र) प्रभागिक निदेशक

प्रभागिक निदेशक

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को उनके पत्रांक-965/105काम-मु0वृत्/20 दिनांक 23.02.2021 को सूचनार्थ प्रेषित।

(डी0के0 मिश्रा)

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava

मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं विधिवत गठित न्यायादायी
Chief Regional Manager & Duly Constituted Attorney

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited

मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता

मुरादाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, मुरादाबाद ।

(E-mail-scomoradabad14@gmail.com)

पत्रांक- 765 / 108 काम-मु0वृत्त / 2020

दिनांक 23/02/21

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद ।

विषय- श्रीमती नाजिया परवीन पुत्री श्री हाजी इकराम कुरैशी पत्नी हाजी फरहान कुरैशी निवासी भूडे का चौराहा ईदगाह रोड, मुरादाबाद के द्वारा ग्राम मुस्तफाबाद तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा सं0-112मि0, 113मि0 व 114मि0 पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
संदर्भ- अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0, मुरादाबाद का पत्रांक 391/प्रा0 दिनांक 17.02.2021 ।

उपरोक्त विषयक प्रस्तावित स्थल श्रीमती नाजिया परवीन पुत्री श्री हाजी इकराम कुरैशी पत्नी हाजी फरहान कुरैशी निवासी भूडे का चौराहा ईदगाह रोड, मुरादाबाद के द्वारा ग्राम मुस्तफाबाद तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा सं0-112मि0, 113मि0 व 114मि0 पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) की अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता द्वारा पुरानी गाईड के अनुसार अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0, मुरादाबाद के संदर्भित पत्र द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त अनापत्ति हेतु संस्तुति सहित मानचित्र संलग्न करते हुए पूर्ण प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। इस ईधन स्टेशन की एल0ओ0आई0 दिनांक 04.12.2019 से पूर्व की है।

अतः अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति के आधार पूर्ण प्रकरण दो मानचित्रों के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित प्रेषित है।

- संलग्न- 1-मानचित्र दो प्रतियों में।
2-एनक्जर एवं चैक लिस्ट।
3-अधिशासी अभियन्ता के संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

(सजीव गोविल)
अधीक्षण अभियन्ता

प्रतिलिपि

अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0, मुरादाबाद का पत्रांक 391/प्रा0 दिनांक 17.02.2021 के काम में सूचना प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
प्रशासकीय निरीक्षक
सांताजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद

अधीक्षण अभियन्ता
मुरादाबाद वृत्त, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

10-02-2021 10:05:00 COM.doc

नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं विधिवत गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office